न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, सीकर

बइजलास:– गोविन्द सिंह भींचर, आरएएस

प्रकरण संख्या:–69 / 2022 / 251 क

अमरा पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
– प्रार्थी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र लच्छाराम
2. मालीराम पुत्र लच्छाराम
3. रामादेवी पत्नि गोमाराम
4. जगदीश
5. शंकर
6. कालू
7. राजू
   पुत्रगण गोमाराम
8. धापू
9. सरोज
10. शांति
   पुत्रियां गोमाराम

   समस्त जाति बावरिया निवासीगण ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। पूर्णमल उर्फ पूर्णराम पुत्र लिखमा
–अप्रार्थीगण

आवेदन अं. धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955

उपस्थिति:

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ हाजिर।

निर्णय **दिनांक:–30.07.2024**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 0. 8800 हैक्टेयर ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। आवेदित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.6300 हैक्टेयर ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में उपस्थित है उपखण्ड दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्तानुसार आवेदक के खेत में आने–जाने हेतु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.6300 हैक्टेयर के बीच में से खण्डेलसर से चिहाला सडक से उतर

से दक्षिण आवेदक के खेत खसरा नम्बर 56 तक मार्क– ए से बी तक 18 फीट चौडा रास्ता कायम करवाना चाहता हूँ, उक्त रास्ता सुगम एवं निकटतम है व धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जाऊँगा, मैं यह आवेदन–पत्र मेरी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रार्थी/आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन–प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है इसलिए कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.6300 हैक्टेयर के बीच में से खण्डेलसर से चिहाला सड़क से उतर से दक्षिण आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 56 तक 18 फुट मार्क– ए टू बी 18 फुट चौडा रास्ता तन ग्राम खण्डेलसर तहसील दातारामगढ जिला सीकर की रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है। इसलिए कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 तन ग्राम खण्डेलसर तहसील दातारामगढ जिला सीकर में से आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना सादर प्रार्थनीय है। खातेदार गोमाराम पुत्र लच्छा फौत हो चुका है, जिसके वारिशान को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अतः अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि आवेदन–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम खण्डेलसर पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दातारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 06300 हैक्टेयर में आवेदन के संलग्न नक्शा ट्रेस जिन्हें नजरी नक्शे में मार्क " ए टू बी दर्शाया गया है, हे गये रास्ते के अलावा आवेदक के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। आवेदक को अपने खेत मतें पहुँचने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम एवं निकटतम है व धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी

खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगा। मैं यह प्रार्थना–पत्र मेरी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रासते के सम्बध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ एवं इस्तिदुआ करता हूँ कि मेरी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 2.8800 हैक्टेयर तन खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम एवं नजदीक है जो खसरा नम्बर 52 रकबा 0.6300 हैक्टेयर के बीच में से खण्डेलसर–चिहाला सडक से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 56 तक मार्क– ए टू बी 18 फीट चौडा रास्ता में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदकगण संख्या 1 ता 10 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील आनन्द राड़ हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6 की तामिल पेश परन्तु कोई उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 की तामिल इस आशय से लौटकर प्राप्त की उक्त महिलायें अपने ससुराल में रहती है जिस संबंध में आदिनांक तक सही पते पर नोटिस पेश नही है तथा अप्रार्थी संख्या 4 के नोटिस पेश नही।

3. प्रार्थना–पत्र में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के तहत रिपोर्ट पेश। वकील आनन्द राड़ ने प्रारम्भिक विधिक आपति पेश कर कथन किया कि आवेदक ने स्वयं की भूमियां रास्ता/सड़क पर अवस्थित होने के बावजूद उक्त गलत आवेदन पेश कर न्यायालय का समय नष्ट किया है जिस कारण अनावेदकगण की प्रारम्भिक आपति स्वीकार फरमाई जाकर आवेदक के आवेदन को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ ने जबाब आवेदन भी पेश कर कथन किया कि आवेदक अमराराम की एकल खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बर 50, 56 लगायत 61 किता 7 कुल रकबा 3.37 है0 भूमियां एक ही जगह पर आपस में मिली हुयी

अवस्थित है जिसमें से भूमि खसरा नम्बर 50 सड़क/आम रास्ता पर लगती हुयी है इस प्रकार आवेदक की भूमियां सड़क/रास्ते पर अवस्थित होने के बावजूद आवेदक ने उक्त गलत आवेदन तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है।

4. वकील उभयपक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने कहा कि प्रार्थी की भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता नहीं है व वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का है तथा आवश्यकता अत्यंतिक है तथा उक्त समस्त तथ्य भू अभिलेख निरीक्षक की जांच में सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 50 सड़क/आम रास्ता पर लगती हुयी है इस प्रकार आवेदक की भूमियां सड़क/रास्ते पर अवस्थित होने के बावजूद आवेदक ने उक्त गलत आवेदन तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है।

5. मैंने प्रार्थना पत्र, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट, मौखिक बहस, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 का अवलोकन व मनन किया। धारा 251–ए में मूलतः रास्ता 3 शर्त में दिये जाने का प्रावधान है :–

   1 वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो।
   2 निकटतम रास्ता ही देय है।
   3 रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो।

   वर्तमान प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 56 में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 52 से रास्ता चाहा है। वर्तमान प्रार्थना पत्र 07.07.2022 को पेश हुआ। धारा 251 क सक्षिप्त जांच का विषय है जिसको 90 दिवस में निस्तारित करना होता है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में रिपोर्ट पेश है व उक्त रिपोर्ट के IInd विकल्प में यह लिखा है कि प्रार्थी के भूमी खसरा नम्बर 50 का कोना कटानी रास्ते से लगता है जिस संबंध में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी की ही

जुड़ी हुयी भूमि खसरा संख्या 50 गैर मुमकिन रास्ते खसरा नम्बर 47 से जुड़ा हुआ है। अतः भूमि खसरा संख्या 50 से प्रार्थी अपने स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 57 से होते हुए खसरा संख्या 56 में जा सकता है।

6. अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश प्रारम्भिक विधिक आपत्तियों व जबाब के आधार पर व उक्त पर उभयपक्षीय सुनी गयी बहस व तहसीलदार द्वारा की गयी जांच धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी), 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानों के मद्देनजर, जिसका विवेचन ऊपर किया गया है, के आधार पर मेरा यह समाधान नहीं होता है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है या रास्ते की आवश्यकता अत्यंतिक है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि चाहा गया रास्ता सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिये है। अतः धारा 251–क के तहत वैकल्पिक मार्ग का अभाव व अत्यंतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़